पत्र संख्या–9 / पें०(6)–01 / 2014 115/वि०प्रे०

झारखण्ड सरकार

योजना सह वित्त विभाग

—::—

प्रेषक,

सतेन्द्र सिंह

सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सचिव

सभी आयुक्त / सभी विभागध्यक्ष / सभी उपायुक्त /

सभी पुलिस अधीक्षक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी

/ सभी सिविल सर्जन

झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक 20/09/17

विषयः— पेंशन के ऑनलाईन आवेदन हेतु कर्मचारी सेवा पोर्टल (Employee Portal) में स्वीकृति पदाधिकारी का नाम अंकित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि योजना सह वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2369 दिनांक 13.07.2017 द्वारा पेंशन हेतु कर्मचारी सेवा पोर्टल के माध्यम से Online आवेदन का प्रावधान किया गया है । कर्मचारी सेवा पोर्टल में सभी विभाग / कार्यालय के स्वीकृति पदाधिकारी की महालेखाकार, झारखण्ड के कार्यालय से प्राप्त सूची को दर्शाया गया है ।

ऑन–लाईन पेंशन आवेदन एवं स्वीकृति के क्रम में कई कार्यालयों द्वारा सूचित किया जा रहा है कि पेंशन स्वीकृति प्राधिकार की सूची में उनका नाम नही है । समस्याओं के समाधान हेतु पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी, जिनका नाम सूची में अंकित नहीं है, उनका नाम / पदनाम अंकित किया जाना है ।

अतः अनुरोध है कि कर्मचारी सेवा पोर्टल में जाँचोपरान्त यदि पोर्टल की सूची में नाम / पदनाम अंकित नही हो तो स्वीकृति पदाधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय एवं संबंधित DDO Code (यदि हो तो) सूची में सम्मिलित करने के प्रस्ताव के साथ Fax अथवा E-mail के माध्यम से यथा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

20/9/17

(सतेन्द्र सिंह)

सचिव (व्यय)।